

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

॥ अधिसूचना ॥

अधि०सं०-सं०का०-०१ / वि०मं०(महानुभाव)-०८-०८ / २०२६-..... / पटना, दिनांक-.....२०२६

बिहार विधान मण्डल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, २००६ के नियम-३ के आलोक में श्री संजीव चौरसिया, माननीय मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान सभा को संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना सं०-५३५, दिनांक-२०.०५.२०२६ द्वारा दिनांक-१५.०५.२०२६ के प्रभाव से मंत्री के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधायें प्रदत्त हैं। फलस्वरूप उक्त नियमावली के नियम २(ट) एवं ३(ड.) से इन्हें उक्त दर्जा के अनुरूप निजी स्टाफ की सुविधा प्राप्त है।

२. बिहार (मंत्रियों के वेतन और भत्ते) अधिनियम, २००६ की धारा २(ख) एवं बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, २००६ के नियम १८ से निर्धारित अनुसूची-१ एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं०-२८८, दिनांक-२३.०६.२०१४ द्वारा मंत्री, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री को सरकारी एवं बाह्य सेवा के निजी कर्मचारी की सुविधा अलग-अलग प्रावधानित की गयी है।

३. उपरोक्त वर्णित अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के तहत श्री संजीव चौरसिया, माननीय मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान सभा के पत्रांक-१५५८/२६, दिनांक-०५.०६.२०२६ द्वारा राजपत्रित पदाधिकारी की श्रेणी में श्री कुमार धनन्जय, बि०प्र०से० कोटि क्रमांक-३६०/२०२६, बैच सं०-४७वाँ, जिला अपर समाहर्ता, (आपदा प्रबन्धन) कटिहार को अपना आप्त सचिव नियुक्त करने की अनुशंसा इस आशय के साथ की गयी है कि वे उनके संगे-संबंधी नहीं है। उक्त के आलोक में संसदीय कार्य विभाग के पत्र सं०-६५१, दिनांक-११.०६.२०२६ द्वारा श्री कुमार धनन्जय की सेवा संसदीय कार्य विभाग को सौंपने हेतु अनुरोध किया गया।

४. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-१११०७, दिनांक-२२.०६.२०२६ द्वारा श्री कुमार धनन्जय, बि०प्र०से० कोटि क्रमांक-३६०/२०२६, बैच सं०-४७वाँ, जिला अपर समाहर्ता, (आपदा प्रबन्धन) कटिहार की सेवा श्री संजीव चौरसिया, माननीय मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान सभा के आप्त सचिव (राजपत्रित) के रूप में कार्य करने के लिए संसदीय कार्य विभाग को सौंपी गयी है। तदनुसार इनकी सेवा महानुभाव के आप्त सचिव (राजपत्रित) के रूप में कार्य करने के लिये अधिसूचना निर्गत की जाती है। श्री कुमार धनन्जय की सेवा इस अधिसूचना के निर्गत होने के पश्चात् योगदान की तिथि से उक्त महानुभाव के कार्यकाल तक महानुभाव के आप्त सचिव के रूप में बनी रहेगी। परन्तु महानुभाव के द्वारा उसके पहले भी किसी भी तिथि से इनकी सेवा समाप्त कर लौटायी जा सकती है। सेवा समाप्ति के बाद वे अपने पैतृक विभाग में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

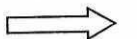
५. श्री कुमार धनन्जय, आप्त सचिव (राजपत्रित) के वेतनादि का भुगतान बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा नियमानुसार किया जाएगा। आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की प्रतियां सभी सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त करा दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(सुधांशु शेखर)

सरकार के अवर सचिव।



ज्ञापांक-सं0का0-01 / वि0मं0(महानुभाव)-08-08 / 2026-..... / पटना, दिनांक-.....2026
प्रतिलिपि-महालेखाकार, (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी,
सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/श्री संजीव चौरसिया, माननीय मुख्य सचेतक,
सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान सभा/प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा/अवर सचिव,
वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, (वित्त विभाग) पटना/लेखा-शाखा, बिहार विधान सभा एवं
श्री कुमार धनन्जय, आप्त सचिव (राजपत्रित), बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

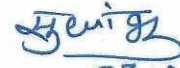
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-सं0का0-01 / वि0मं0(महानुभाव)-08-08 / 2026-..... / पटना, दिनांक-.....2026
प्रतिलिपि-श्री सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को उनके
पत्रांक-11128, दिनांक-22.06.2026 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-सं0का0-01 / वि0मं0(महानुभाव)-08-08 / 2026-~~7.5.2~~ पटना, दिनांक-~~03.07~~ 2026
प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर
अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


03-07-2026

सरकार के अवर सचिव।